न्यायालय सेशन न्यायाधीश, श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारी	:	रविन्द्र कुमार,
निर्णय दिनांक	:	12.05.2026
सेशन प्रकरण संख्या	:	18/2018
		(CNR no. RJSG010024752017)
		(CIS no. 19/2018)

राजस्थान राज्य

विरूद्ध

1– राजेश बिश्नोई पुत्र सुभाष बिश्नोई, निवासी सीतो गुनों तहसील अबोहर थाना भाववाला, पंजाब।

2– अभिषेक पुत्र राजेंद्र कुमार, निवासी 31 आर बी पीएस पदमपुर, श्रीगंगानगर।

3– साजिद धारणिया पुत्र आजाद कुमार, निवासी अबूबशहर पीएस डबवाली, हरियाणा।

–अभियुक्तगण

अपराध अंतर्गत धारा 307,353,332,279 भा.दं.सं.
व धारा 3 सार्वजनिक संपत्ति हानि निवारण अधिनियम

प्रतिनिधित्वः–

1– लोक अभियोजक–राज्य पक्ष की ओर से।

2– श्री रामेश्वर सुथार, अधिवक्ता अभियुक्त सं. 1 व 3 की ओर से।

3– श्री चरणदास कम्बोज, अधिवक्ता अभियुक्त सं. 2 की ओर से।

Form–B

Date of Offence	20.03.2017
Date of FIR (Complaint)	20.03.2017
Date of Chargesheet(Complaint Sheet)	24.10.2017
Date of Framing of Charges	07.07.2018
Date of commencement of evidence	09.01.2026
Date on which judgment is reserved	12.05.2026
Date of the Judgment	12.05.2026
Date of Sentencing Order, if any	12.05.2026

न्यायालय द्वाराः–

– :: निर्णय ::–

1. आरक्षी केन्द्र सदर, श्रीगंगानगर की ओर से अभियुक्तगण राजेश बिश्नोई, अभिषेक

व साजिद के विरूद्ध अपराध धारा 307, 353, 279, 332, 143 भा.दं.सं. व धारा 3 पीडीपीप एक्ट के अंतर्गत अभियोग पत्र दिनांक 24.10.2017 को मूलतः न्यायालय अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं .1, श्रीगंगानगर में प्रस्तुत किया गया। जो प्रकरण अनन्यतः सेशन विचारणीय होने से उपार्पित होकर इस न्यायालय में प्राप्त होने पर नियमानुसार सेशन प्रकरण संस्थित हुआ।

2. प्रकरण के सुसंगत व संक्षिप्त तथ्य अंतर्गत अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 20.03.2017 को परिवादी एसआई बलवन्तराम ने एक लिखित रिपोर्ट (**प्रदर्श पी.1**) पेश कर व्यक्त किया कि दिनांक 20.03.2017 के वक्त 2:56 पीएम पर जरिये टेलिफोन सूचना मिली कि टांटिया कालेज के सामने लड़ाई–झगड़ा होने की संभावना है जिस इत्तला पर यह मय अन्य आरक्षी कार्मिक जरिये प्राइवेट वाहन से रवाना टांटिया कालेज की तरफ हुआ तथा ड्यूअी अधिकारी प्रमोद कुमार एचसी 186 मय दीपक कानि. 1473 मय जीप सरकारी डीआर जगदेव सिंह को मौका पर टांटिया कालेज पहुंचने हेतु निर्देशित किया। यह जब नाथावाला तिराहा पहुंचा तो सूरतगढ़ बाईपास की तरफ से प्रमोद कुमार एचसी मय स्टाफ के सरकारी जीप लेकर उपस्थित मिला तथा रवाना होकर टांटिया कालेज के पास पहुंचे तो गेट के सामने खड़ी एक कार के पास 4–5 लड़के पुलिस जीप को देखकर एकदम कार में बैठ कर कार को भगाने लगे तो साथी स्टाफ ने गाडियों से उतर कर कार को रूकवाने का प्रयास किया तो कार को में सवार उन लड़कों ने प्रमोद कुमार एचसी 2004 को जान से मारने की नीयत से कार को उसके ऊपर चढ़ाने का प्रयास किया जिससे प्रमोद कुमार कार के बम्पर से टकरा कर साइड में गिरा तो उसके दाहिने हाथ के चोट लगी और खून बहने लगा उन लड़कों ने कार को यू–टर्न करते हुए लालगढ़ की तरफ बहुत ही तेज गति व लापरवाही से भगाई तो उनकी कार सड़क के किनारे खड़ी स्विफ्ट डिजायर कार नंबर के पीछे से टकराई और फिर सरकारी जीप के बायीं तरफ टक्कर मारते हुए लालगढ़ की तरफ कार को भगाया और 6 मासी नहर की पटड़ी–2 भगा कर ले गए, जिसको इसने मय स्टाफ पीछा किया तो ठाकरावाली गांव के पास बने वाटरवर्क्स के पास उनकी कार बंद हो गई तो कार नंबर डीएल–4 सीजे–7740 में सवार लड़के उतर कर भागने लगे तो तीन लड़कों को काबू कर लिया तथा तीन लड़के खेतों में भागने में सफल हो गए। काबू किए गए लड़कों से नाम–पता पूछा तो एक ने अपना नाम राजेश बिश्नोई, दूसरे ने अपना नाम अभिषेक व तीसरे ने अपना नाम साजिद बताया तथा उनके अन्य साथियों के बारे में पूछा तो उनका नाम प्रवेश बिश्नोई, अमन भादू व विशु उर्फ विष्णु बिश्नोई बताया। कार में बेसबॉल के डंडे रखे हुए थे। काबू किए हुए तीनों व्यक्तियों के साथ थाना रवाना होने लगे तो स्टाफ के

साथ धक्का-मुक्की करने लगे, जिस पर राजेश बिश्नोई, अभिषेक व साजिद को धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर हाजिर थाना आया व कार नंबर डीएल-4 सीजे-7740 को क्रेन की इमदाद से थाना परिसर में लाकर खड़ा करवाया। प्रमोद कुमार एचसी को इलाज हेतु राजकीय चिकित्सालय भिजवाया गया...आदि। इस लिखित रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी संख्या 104/17 पंजीबद्ध होकर बाद आवश्यक अन्वेषण अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्तानुसार आरोप-पत्र उपार्पण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहाँ से यह प्रकरण उपार्पित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

3. प्रकरण में आरोप बहस सुनी जाकर अभियुक्तगण राजेश बिश्नोई, अभिषेक व साजिद के विरूद्ध धारा 307, 279, 353, 332 भा.दं.सं. व धारा 3 सार्वजनिक संपत्ति हानि निवारण अधिनियम के अंतर्गत आरोप पृथक् से विरचित कर सुनाए व समझाए गए तो अभियुक्तगण ने आरोप सुन व समझकर अस्वीकार कर व अन्वीक्षा चाही।

4. अभियोजन पक्ष की तरफ से मौखिक साक्ष्य में अग्रवर्णित **साक्षीगण** को पेश कर परीक्षित करवाया गया-

साक्षी क्रम	नाम साक्षी	साक्ष्य की प्रकृति
01	बलवंतराम	परिवादी व पुलिस साक्षी
02	दीपक	चक्षुदर्शी पुलिस साक्षी
03	चरण सिंह	चक्षुदर्शी पुलिस साक्षी
04	डॉ. हंसराज ज्याणी	चिकित्सीय साक्षी
05	राजेश गोयल	चक्षुदर्शी साक्षी
06	रामकुमार	मैकेनिल मुआयना बाबत पुलिस साक्षी
07	कुलदीप वालिया	अनुसंधान अधिकारी
08	प्रमोद कुमार पुत्र हरीराम	चक्षुदर्शी पुलिस साक्षी
09	प्रमोद कुमार पुत्र राजेन्द्र प्रसाद	आहत पुलिस साक्षी
10	चन्द्रजीत सिंह	अनुसंधान अधिकारी

अभियोजन पक्ष की तरफ से अग्रवर्णित **दस्तावेज** प्रदर्शित करवाये गए-

क्र.	प्रदर्श	दस्तावेज का विवरण
01	01	लिखित दरखास्त
02	02	एफआईआर
03	03 व 03 ए	नक्शामौका मय हालातमौका घटनास्थल

04	04	फर्द निरीक्षण एवं जप्ती कार डीएल–4–सीजे–7740
05	05	फर्द निरीक्षण एवं सुपुर्दगी कार एचआर–42 सी–8369
06	06	फर्द निरीक्षण महेन्द्रा जीप आरजे–13–यूए–4803
07	07	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त राजेश बिश्नोई
08	08	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त अभिषेक
09	09	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त साजिद
10	10	नियुक्ति आदेश की प्रमाणित प्रति
11	11 व 12	रोजनामचा
12	13	चोट प्रतिवेदन पत्र प्रमोद कुमार
13	14	राजेश गोयल का कार्यवाही बाबत् प्रार्थना–पत्र
14	15 व 16	वाहनो की मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट
15	17	वाहन के संबंध में एसपी कायार्लय का पत्र
16	18	मालखाना रजिस्टर की प्रति
17	19	स्थानान्तरण आदेश की प्रति

5. अभियुक्तगण के कथन अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता लेखबद्ध किए गए। प्रतिरक्षास्वरूप साक्ष्य में अभियुक्त राजेश बिश्नोई व साजिद धारणियां ने समरूप कथन किया कि –**"पुलिस ने कथित दुर्घटना को घटना बनाकर झूठा मुकदमा बनाया है उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी ने जानबूझकर परिवादी पुलिसकर्मी होने की वजह से इस प्रकरण में प्रार्थीगण को झूठा फंसाया है, वे निर्दोष हैं।" तथा** अभियुक्त अभिषेक ने कथन किया कि–**"मैं निर्दोष हूँ मुझे झूठा फंसाया गया है।"** प्रतिरक्षास्वरूप कोई मौखिक साक्ष्य पेश नहीं की।

6. बहस उभय पक्ष सुनी गई तथा पत्रावली का परिशीलन किया गया। इस प्रकरण के निर्णय हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु उत्पन्न होता है :–

1. क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 20.03.2017 को दिन के 3 बजे अथवा इसके लगभग श्रीगंगानगर में टांटिया कॉलेज के पास साथ मिलकर कार डीएल 4 सी जे 7740 को लोकमार्ग पर उपेक्षापूर्ण ढंग व उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापित कर उक्त स्थान पर लोकसेवक के रूप में कार्यरत प्रमोद कुमार एचसी, चरणसिंह, दीपक व जगदेव को उनके लोक कर्तव्य से निवारित व भयोप्रत करने के आशय से धक्का–मुक्की कर आपराधिक बल का प्रयोग कर हमला किया व प्रमोद कुमार को स्वेच्छया उपहतियां कारित की। इस प्रकार अभियुक्तगण ने प्रमोद कुमार एचसी 2004 को जान से मारने के अग्रसरण में उसके ऊपर कार सं. डीएल–4–सीजे–7740 को चढाने का प्रयास करते हुए उसे साशय व ज्ञानपूर्वक ऐसी

परिस्थितियों में उपहतियां कारित की कि यदि उसकी मृत्यु हो जाती को अभियुक्तगण हत्या के दोषी होते तथा अभियुक्तगण ने राजकीय सम्पत्ति जीप नंबर आरजे–13–यूए–4802 को टक्कर मारकर उसे क्षतिग्रस्त कर नुकसान कारित किया ? यदि हां, तो उचित दंड क्या हो

7. उक्त विचारणीय बिन्दु के क्रम में बहस के अंतर्गत विद्वान लोक अभियोजक ने पक्षकथन किया है कि पत्रावली पर प्रस्तुत अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित है। अभियुक्तगण द्वारा अपनी कार को उपेक्षापूर्ण एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया व परिवादी पक्ष जो कि आरक्षी कार्मिकगण होकर घटना के समय लोक सेवक के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे, को भयोपरत कर उनके कर्तव्य निर्वहन में बाधा कारित करते हुए स्वेच्छया प्रमोद कुमार को उपहति कारित की गई एवं आहत प्रमोद कुमार ने रूकने का ईशारा करने पर उसकी ओर वाहन चलाया व वाहन की टक्कर लगने से वह गिर गया , इस प्रकार उसकी हत्या का प्रयास किया गया है व सरकारी पुलिस वाहन के भी टक्कर मारकर रिष्टि कारित की है तथा पत्रावली पर साक्ष्य से आरोप प्रमाणित होना व्यक्त कर दोषसिद्ध किए जाने का निवेदन किया।

8. विद्वान अधिवक्ता प्रतिरक्षा पक्ष ने कथन किया कि अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई आरोप प्रमाणित नहीं होता है। अभियुक्तगण द्वारा कोई हत्या का प्रयास नहीं किया गया व न ही लोक सेवक पुलिस कर्मियों के कर्तव्य पालन में कोई बाधा कारित करने हेतु भयोपरत किया गया। अभिलेख पर ऐसा कोई चिकित्सकीय प्रतिवेदन नहीं है कि प्रमोद कुमार के कोई प्राणघातक उपहति कारित हुई हो, अपितु मामूली खरोंचे होना बतलाया गया है, जो उसने गिरने से आना कहा है। अभियुक्तगण द्वारा घटनास्थल पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया गया व न ही ऐसी कोई शिकायत किसी द्वारा पेश की गई है। आहत पुलिसकर्मी होने से अपने विभागीय साक्षीगण रखते हुए संगीन मामला बना दिया गया है, जबकि मौके पर ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। उनका यह भी पक्षकथन है कि अभियुक्तगण की कोई पहचान कार्यवाही भी नहीं करवाई गई और यह भी कथन किया है कि प्राथमिकी में छः आरोपीगण होना अंकित किए गए हैं, जबकि आरोप पत्र में तीन आरोपी होना पाए गए हैं, जबकि सभी साक्षी पुलिस आरक्षी कार्मिकगण हैं और इस विरोधाभास से भी अभियोजन कहानी संदेहप्रद रह जाती है। ऐसी स्थिति में अभियोजन कहानी संदेह से परे प्रमाणित नहीं होती है। अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जावे।

9. उभय पक्ष के पक्षकथनों पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

10. अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित प्रश्नगत आरोप के संबंध में पत्रावली पर अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन किया जावे तो अभियोजन साक्षी **पी.ड.1** बलवंतराम तत्कालीन एएसआई, जो कि स्वयं परिवादी है, ने अपने बयानों में कथन किया है कि दिनांक 20.03.2017 को यह पुलिस थाना सदर में कार्यरत था व उस रोज थाना का चार्ज भी इसके पास था। वक्त 2.56 पीएम पर जरिए टेलीफोन सूचना मिली की टांटिया कॉलेज के सामने लडाई होने की संभावना है जिस पर यह, प्रमोद कुमार एफसी, चरण सिंह जरिए प्राईवेट वाहन टांटिया कॉलेज की तरफ रवाना हुए व डीओ प्रमोद एफसी मय दीपक कानि. व जीप ड्राईवर जगदेव सिंह को मौका पर टांटिया कालेज पहुंचने के लिए निर्देशित किया जब यह नाथांवाला तिराहा पहुंचा तो सूरतगढ बाईपास की तरफ से प्रमोद कुमार एफसी मय हमराही यान उपस्थित मिला जिसे साथ लेकर टांटिया कालेज के गेट के पास पहुंचे तो वहां चार पांच लड़के एक कार के पास खडे हुए थे जो पुलिस जीप को देखकर एक दम कार में बैठकर कार को भगाने लगे। साथी स्टाफ ने कार को रूकवाने का प्रयास किया तो कार सवार उन लडकों ने प्रमोद कुमार एफसी को जान से मारने की नियत से कार को उस पर चढ़ाने का प्रयास किया जिसे प्रमोद कुमार कार के बम्पर से टक्कराकर साईड में गिरा जिसे उसके हाथ में चोट लगी व उन लड़को ने कार को यूटर्न करते हुए लालगढ की तरफ तेज गति व लापरवाही से भगाई तो उनकी कार सड़क के किनारे खडी स्विफ्ट डिजायर कार से टक्कराई व फिर सरकारी जीप को टक्कर मारते हुए लालगढ की तरफ भगा ले गए। इन्होंने उनका पीछा किया तो छह मासी नहर की पटड़ी के पास ठाकरावाली गांव के पास बने वाटरवर्क्स के पास उनकी कार बन्द हो गई, कार के नम्बर डीएल 4 सीजे 7740 थे, जिसमें सवार लडके उतर कर भागने लगे तो तीन लड़को को काबू किया व तीन लड़के भागने में सफल रहे। काबू किए गए लड़कों में ड्राईवर सीट से भागने वाले लड़के ने अपना नाम राजेश बिश्नोई दुसरे ने अपना नाम अभिषेक व तीसरे ने अपना नाम साजिद होना बताया व भागने वालों का नाम प्रवेश, अमन व विशु उर्फ विष्णु बताया। मुल्जिमान की कार को चैक किया गया तो खिडकियां खुली थी और कार में बेसबॉल के डण्डे रखे हुए थे व काबू किए गए तीनों व्यक्तियों को जब थाना ले जाने लगे तो उन्होनें स्टाफ के साथ धक्कामुक्की की जिस पर उन तीनों को 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार किया गया व कार को क्रेन से उठाकर थाना में ले गए व थाना पहुंचकर इसके द्वारा एसएचओ चन्द्रजीत को एक

टाईपशुदा रिपोर्ट प्रदर्श पी.1 पेश की जिसपर एफआईआर प्रदर्श पी.2 दर्ज हुई व अनुसंधान चन्द्रजीत द्वारा शुरू किया गया व नक्शा मौका इसकी निशानदेही से बनाया गया जो प्रदर्श पी.3 है व जब्तशुदा मुल्जिमों की कार कर निरीक्षण आईओ द्वारा किया गया था जिसकी फर्द प्रदर्श पी.4 है। घटना स्थल पर अभियुक्तगण की कार जो हरियाणा नम्बर की कार से टक्कराई थी जिसका भी आईओ ने फर्द निरीक्षण व सुपुर्दगी तैयार की थी जो प्रदर्शपी.5 है। सरकारी जीप आरजे 13 यूए 4803 का भी निरीक्षण आईओ ने किया था, जो प्रदर्श पी.6 है। फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त राजेश प्रदर्श पी.7, अभिषेक प्रदर्श पी.8 व साजिश प्रदर्श पी.9 है। इसका प्रथम नियुक्ति आदेश की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी.10 है। मुल्जिमान को गिरफ्तार करते समय उनकी जामा तलाशी में मिले मोबाईल को इसने मालखाना में जमा करवाया था। इसकी रवानगी व आमदगी की प्रतियां प्रदर्श पी.11 व 12 है।

11. प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने कथन किया है कि उस रोज नियमित थानाधिकारी कुलदीप वालिया थे। आज इसे ध्यान नही कि यह थाना इन्चार्ज कब से था। यह सही है कि जिस रोजनामचा में इसे चार्ज मिला वह आज पत्रावली में मौजूद नहीं है। यह सही है कि रिको में इनके थाने की चौकी है व उसका इन्चार्ज भी यह ही था। उस दिन रिको चौकी का चार्ज इसने किसको दिया आज इसे ध्यान नहीं है। **जिस मोबाईल नम्बर से इसे सूचना आई थी वह नम्बर तथा किस व्यक्ति ने सूचना दी थी आज इसे ध्यान नहीं है।** उक्त सूचना को रोजनामचा में दर्ज किया था व मोबाईल नम्बर तथा व्यक्ति का नाम दर्ज नहीं किया था। **यह सही है कि इसने उक्त घटना की सूचना रिको चौकी को नहीं दी**। इसे ध्यान नहीं है कि उक्त सूचना इसके द्वारा चौकी को क्यों नहीं दी गई। यह सही है कि रिको चौकी में सूचना बाबत कोई कागजात पत्रावली में मौजूद नहीं है। यह सही है कि रिको चौकी समीपस्थ स्थान घटना स्थल को सूचना देने का वर्णन प्रथम सूचना रिपोर्ट व किसी दस्तावेज में नहीं है जबकि प्रमोद डयूटी अधिकारी हैड कानि0 जो राष्ट्रीय राजमार्ग दूरस्थ स्थान पर है उसको सूचना देने का वर्णन है। यह सही है कि आरोपीगण द्वारा कोई उपद्रव, झगड़ा करने के साक्ष्य इनके सामने उस समय नहीं आए थे। यह सही है कि मौका पर इसने प्राईवेट स्विफट गाडी के मालिक से कोई सूचना नहीं ली व न ही उसके कथन लेखबद्ध किए अज खुद कहा कि बाद में अन्वेषण अधिकारी के समक्ष पेश की थी जो पत्रावली में मौजूद है। राजेश ने उक्त सूचना कब दी थी इसे ध्यान नहीं है। यह नहीं बता सकता कि उक्त प्रकरण में किसी मुकदमा नम्बर का स्थान रिक्त क्यों छोड रखा है। इसे आज ध्यान नहीं है कि वे जिस प्राईवेट गाडी में गए थे उसका क्या नम्बर हैं। उस

प्राईवेट गाडी का मालिक कौन है आज इसे ध्यान नहीं है। इसे ध्यान नहीं है कि उक्त गाडी का किराया किसने व किसको दिया था। प्रमोद को ओमप्रकाश कानि. प्राईवेट गाडी से अस्पताल लेकर गया था वह वाहन कौनसा था आज इसे ध्यान नहीं है। इसे ध्यान नहीं है कि प्रमोद को पहले जनसेवा अस्पताल में दिखाया गया या नहीं। **भागने वालों की इससे शिनाख्ती परेड़ नही करवाई गई। यह सही है भागने वालों को पुलिस ने जांच से मुल्जिम नहीं माना। आज यह मुल्जिमानों को नाम से नहीं पहचान सकता**। यह सही है कि अभिषेक गाडी नहीं चला रहा था अज खुद का कि राजेश गाडी चला रहा था। **यह सही है कि इन सभी के पास मोबाईल थे इन्होंने घटना से संबंधित कोई भी विडियोग्राफी व फोटोग्राफी नहीं ली।** यह कहना गलत है कि उस समय टांटिया कॉलेज के दर्जनों की संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। यह सही है कि जहां आरोपीगण को इन्होंने पकड़ा उस समय वहां पर कोई अन्य व्यक्ति मौजूद नहीं था। इसके साथ उस समय पुलिस जापता के चार पांच लोग थे। जो तीन आरोपीगण भाग गए थे उनका पीछा नहीं किया क्योंकि अगर उनका पीछा किया जाता तो पकडे गए आरोपीगण भी भाग जाते। यह सही है कि आरोपीगण की गाडी बन्द हो गई थी और चलने की हालत में नहीं रही थी। **इन्होंने जो अरोपीगण भागे थे उनकी विडियोग्राफी व फोटोग्राफी करने की कोशिश नहीं की**, अज खुद कहा कि तीन आरोपीगण को पकड़ लिया था व अन्य पहुंच से दूर निकल गए थे। आरोपीगण की गाडी व उनकी गाडी के बीच में पीछा करते समय बीघा–डेढ बीघा की दूरी थी। यह सही है कि वे भागकर उन आरोपी को पकड़ सकते थे, लेकिन इन्होंने तीन आरोपीगण को पकड लिया था इसलिए उनके पीछे नहीं भागे। **यह सही है कि उस समय आरोपीगण के हाथ में कोई हथियार नहीं थे।** यह सही है कि प्रमोद कुमार ने उस समय वर्दी पहन रखी थी। प्रमोद कुमार एफसी 2004 के लगी चोटों से आए खून के धब्बे वगैरा उसकी पुलिस वर्दी पर भी लगे होंगे तो आज इसे ध्यान नहीं है। **प्रमोद कुमार की वर्दी गिरने से कटी–फटी नहीं थी। प्रमोद कुमार की वर्दी को इसके द्वारा जब्त नही किया गया**। यह अभिुक्तगण को पहले से नही जानता न ही इसने आरोपीगण की किसी से शिनाख्त करवाई थी। आज इसे आज ध्यान नहीं है कि किन–किन आरोपीगण से इसने ड्राईवरी लाईसेन्स, आधार कार्ड व अन्य कागजात लिए थे। इसने उक्त घटना कारित करने उपरान्त आरोपीगण के विरूद्ध 151 सीआरपीसी की कार्यवाही की थी। इस प्रकरण में इसने आरोपीगण को एसडीएम के समक्ष पेश किया था अज खुद कहा कि तहसीलदार के समक्ष पेश किया था।

12. साक्षी **पी.ड.9** प्रमोद कुमार पुत्र राजेन्द्र प्रसाद , एचसी स्वयं आहत होकर महत्वपूर्ण साक्षी है, ने कथन किया है कि दिनांक 20.3.2017 को यह पीएस सदर में

हैड कानि. के पद पर तैनात था। उस रोज यह, बलवन्त राम एसआई ने इसे व स्टाफ को बताया कि जरिए टेलीफोन सूचना मिली है कि टांटिया कालेज के सामने कुछ लडके इकट्ठा हो रहे हैं झगडा होने की संभावना है। इस इत्तला पर यह व चरण सिंह बलवन्तराम एसआई के साथ टांटिया कालेज की तरफ रवाना हुए व रास्ता में ड्यूटी अधिकारी प्रमोद कुमार एचसी 186 को टांटिया कालेज पहुंचने हेतु निर्देशित किया, जब ये नात्थावाला तिराहा पहुंचे तो सूरतगढ बायपास की तरफ से प्रमोद कुमार एचसी मय स्टॉफ के सरकारी जीप लेकर उपस्थित मिले। वहां से टांटिया कालेज की तरफ रवाना होकर कालेज के गेट के पास पहुंचे, गेट के सामने चार पांच व्यक्ति खडे दिखायी दिए जो पुलिस जीप को देखकर कार में बैठकर भागने लगे। इन्होंने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने कार को भगाते हुए इसके ऊपर चढाने की कोशिश की जिससे यह बम्पर से टक्कराकर नीचे गिर गया, इसके दाहिने पैर व दाहिने हाथ पर चोट लगी। कार आगे स्विफ्ट कार से टकरा कर यूटर्न कर भगा कर ले गए। इसके हाथ से खून बहने लग गया इसे चौकी से ओमप्रकाश कानि. ने आकर प्राथमिक ईलाज कर सरकारी अस्पताल ले गए। उन लोगों ने इसे जान से मारने की नीयत से इस पर कार चढाने की कोशिश की। बलवन्त राम एसआई व अन्य स्टाफ ने उनका पीछा किया। गाडी के नम्बर इसे आज याद नहीं हैं। इसके सदर थाना में स्थानान्तरण की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी.19 है। इसकी चोटों का डाक्टरी मुआयना हुआ था।

13. प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने इस सुझाव को सही बताया कि जब वे वहां पहुंचे तो लडाई झगडा नहीं हो रहा था। **यह बात सही है कि इसके सामने शांति भंग करने के अपराध में मौका पर किसी को नहीं पकडा।** यह बात सही है कि **आरोपीगण के साथ इसकी रंजिश या दुश्मनी नहीं है। यह बात सही है कि आरोपीगण को ये पहले से नहीं जानते थे।** यह बात सही है कि सभी पुलिस मुलाजमान के पास उस समय मोबाईल थे। यह बात सही है कि इन्होंने **घटना के समय व बाद में आरोपीगण द्वारा गाडी भगाने व दुर्घटना करने व पकडे जाने पर कोई विडियोग्राफी व फोटोग्राफी नहीं की।** इसे अस्पताल में किस गाडी में लेकर गए थे आज ध्यान नहीं है। यह अस्तपताल में भर्ती नहीं रहा था। यह बात सही है कि टांटिया कालेज की सडक जो कि हनुमानगढ की तरफ जाती है वहां काफी भीडभाड रहती है। **इसे दुर्घटना में गिरने पर चोट लगी थी**, जिससे इसे खून आया था जो इसके कपडों पर भी लग गया था। **इस कार्यावाही में इसके खून से सने व फटे हुए कपडे जब्त नहीं किए गए थे व न ही इसने पुलिस को दिए थे।** पुलिस स्टाफ ने आरोपीगण को कहां पकडा इसे ध्यान नहीं है। घटना स्थल का नक्शा मौका कब बनाया था इसे ध्यान नहीं है न ही इसे घटनास्थल पर

लेकर गए थे। आरोपीगण को पुलिस को कब पकडा इसे ध्यान नहीं है। इसका डाक्टरी मुआयना किस समय व किस दिनांक को हुआ इसने ध्यान नहीं है। यह बात सही है कि टांटिया कालेज के सामने से उस समय साधन आ जा रहे थे।

14. अभियोजन साक्षी **पी.ड.8** प्रमोद कुमार पुत्र हरीराम, एचसी ने कथन किया है कि दिनांक 20.03.17 को पीएस सदर में हैड कानि के पद पर तैनात था। उस रोज इसकी डीओ ड्यूटी थी व इसके साथ दीपक कानि व जगदेव ड्राईवर थे। ये गश्त करते हुए सूरतगढ बाईपास पर पहुंचे तो बलवन्त एसआई कार्यवाहक एसएचओ का इसके पास फोन आया कि टांटियां कालेज के सामने कुछ लड़के झगड़ा करने की नीयत से खड़े हैं आप भी स्टाफ साथ पहुंचे तो ये वहां से रवाना हुए तो नाथांवाला तिराहा के पास बलवन्त एसआई, प्रमोद कुमार एफसी, चरण सिंह कानि. मिले। वहां से रवाना होकर टांटिया कालेज के आगे पहुंचे तो चार पांच लड़के एक कार डीएल नम्बर की लिए खडे थे। जो पुलिस को देखकर एक दम से गाडी भगाने लगे तो प्रमोद कुमार एचसी ने उन्हे रोकने का प्रयास किया तो उसे गाडी से टक्कर मारी तो प्रमोद नीचे गिर गया व उसके हाथ पर कोहिनी पर चोट लगी। अभियुक्तगण ने अपनी कार को लालगढ की तरफ तेज गति व लापरवाही से भगाया व एक स्विफ्ट कार के पीछे से टक्कर मारी तथा इनकी गाडी के भी टक्कर मारी तो इन्होंने उस गाडी का पीछा किया तो उन्होने छः मासी नहर की तरफ गाडी को पटरी पर दौडाया व ठाकरावाली वाटर वर्क्स के पास उनकी कार बन्द हो गई। उस कार के नम्बर डीएल 4 सीजे 7740 थे। जिसमें से पांच लडके उतरकर भागने लगे तो उनका पीछा किया तो ड्राईवर सीट से भागने वाले व्यक्ति ने अपना नाम राजेश बिश्नोई व दुसरे ने अपना नाम अभिषेक व तीसरे ने अपना नाम साजिद बताया। भागने वालों के नाम अमन, ईशु व प्रवेश बताए। उक्त काबू किए गए व्यक्ति इनके साथ धक्का मुक्की करने लगे तो थानेदार ने उक्त व्यक्तियों को 151 सीआपीसी में गिरफ्तार किया व कार को क्रेन की सहायता से थाना पर लाया गया।

15. प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने कथन किया कि जिस समय ये मौका पर पहुंचे तो उस समय झगडा नहीं हो रहा था। **इसके साथ मुल्जिमान की कोई रंजिश नही थी** अन्य पुलिस वालों के साथ रंजिश हो तो यह नहीं कह सकता। **आरोपीगण से डण्डे के आलावा कोई अन्य तलवार या पिस्तोल बरामद नहीं हुए थे।** इन्होंने आरोपीगण से डण्डे बरामद नहीं किए थे उनकी कार से बरामद किए थे अज खुद कहा कि जो कि गाडी की सीट पर पडे थे। डण्डो की बरामदगी की विडियोग्राफी नहीं की थी। **गाडी को राजेश चला रहा था।** यह सही है कि कि राजेश को पहले से नहीं जानता था। राजेश को गाडी चलाते हुए इन्होंने

विडियोग्राफी या फोटो नहीं ली।

16. अभियोजन साक्षी **पी.ड.2** दीपक ने भी कथन किया है कि दिनांक 20.03.2017 को यह पुलिस थाना सदर श्रीगंगानगर में पद स्थापित था। उस दिन टांटिया यूनिवर्सिटी के सामने लड़ाई झगड़ा होने की संभावना है ये तुरंत रवाना होकर जैसे टांटिया यूनिवर्सिटी के पास पहुंचे तो वहां 5-6 लड़के पुलिस को आते देखकर कार में बैठकर भागने की कोशिश करने लगे जिस पर उनको रोकने के लिए इशारा किया तो कार चालक ने गाड़ी को तेजी से भगाते हुए प्रमोद कुमार एचसी को जान से मारने की नीयत से गाडी ऊपर चढाने की कोशिश की जिसे प्रमोद कुमार कार के बम्पर से टक्कराकर साईड में गिर गया जिससे उनके हाथ में चोट लगी वह गाडी आगे एक एचआर नम्बर की स्विफ्ट कार रजि. न. एचआर 8369 में टक्कर मारी व उसके बाद सरकारी जीप में टक्कर मारकर यूटर्न करते हुए लालगढ की तरफ भागी। इन्होंने पीछा किया तो कार छह मासी नहर के पटड़ा पर होते हुए टाकरावाली के पास पहुंचे तो भागने वाले व्यक्तियों की कार होण्डा सिटी जिसके नम्बर डीएल 4 सीजे 7740 थी। उस कार में 6 लड़के सवार थे जो अलग-अलग तरफ भागे जिनका पीछा कर तीन लड़कों को पकड लिया, जो कार चला रहा था उसका नाम राजेश बिश्नोई, दूसरे का नाम साजिद बिश्नोई व अन्य का नाम अभिषेक था। उक्त तीनों से जो भागे थे उनका नाम पूछा तो उनका नाम प्रवेश, अमन व विष्णु बताया। उक्त तीनों को गाडी में बिठाना चाहा तो उन्होंने धक्कामुक्की करने की कोशिश की। थानेदार ने उन्हे शांतिभग करने पर धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार किया व अभियुक्तगण की कार बन्द हो गई थी जिसे क्रेन की सहायता से थाना में लेकर गए थे।

17. प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने कथन किया कि ये थाना से सुबह रवाना हो गए थे समय इसे ध्यान नहीं है। रोजनामचा में रवानगी का नम्बर इसे ध्यान नहीं है। जब यह थाना से रवाना हुए तब थाना का थानाधिकारी कौन था इसे ध्यान नही। उस दिन की कोई गश्त डायरी इनके पास नहीं थी। **यह सही है कि इन्होंने मौका पर कोई झगड़ा होते हुए नहीं देखा।** उक्त लड़को के अलावा अन्य कई छात्र वहां खडे थे। **उस समय मौका पर छः लड़के थे। उक्त छः लडके एक ही कार में चढे थे जिसमें दो आगे बैठे थे व चार पीछे।** भागने वालों के कपडे क्या थे इसने ध्यान नही है। यह सही है कि यह उन सभी को अलग-अलग नाम से आज नहीं पहचान सकता। अभियुक्तगण द्वारा हाथापाई करने पर किसी को चोट नहीं लगी थी। **यह सही है कि इससे किसी भी मुल्जिम की शिनाख्त परेड़ नहीं करवायी गई। यह सही है कि टांटिया यूनिवर्सिटी के सामने संभतः दर्जनों में कैमरा लगे हुए होगें।**

इसके पास रिकार्डिंग कैमरा वाला फोन था। इसने रिकार्डिंग नहीं की अज खुद कहा कि इसने भागने वालों की रिकार्डिंग इसलिए नहीं कर सका कि इसने आरोपी को पकड रखा था। जो तीन आरोपी भागे थे उनका नाम प्रवेश, विष्णु व अमन होना बताया था। उक्त तीनों की भी इसनके सामने शिनाख्त नहीं करवायी गई। यह सही है कि उक्त भागने वाले व्यक्तियों का नाम इन्हें पकडे हुए आरोपीगण द्वारा बताया गया था।

18. अभियोजन साक्षी **पी.ड.3** चरण सिंह ने भी कथन किया है कि दिनांक 20.03.2017 को यह पुलिस थाना सदर श्रीगंगानगर में पद स्थापित था। उस दिन सूचना पर टांटिया कालेज के गेट के पास पहुंचे तो वहां पांच छः लड़के पुलिस जीप को देखकर एक दम कार में बैठकर कार को भगाने लगे, जिनको रूकवाने का प्रयास किया तो कार सवार लडकों ने प्रमोद कुमार एफसी को जान से मारने की नीयत से कार को उस पर चढाने का प्रयास किया जिसे प्रमोद कुमार कार के बम्पर से टक्कराकर साईड में गिरा जिसे उसके हाथ में चोट लगी व उन लड़को ने कार को यूटर्न करते हुए लालगढ की तरफ तेज गति व लापरवाही से भगाई तो उनकी कार सड़क के किनारे खड़ी स्विफ्ट डिजायर से टक्कराई व फिर सरकारी जीप को टक्कर मारते हुए लालगढ की तरफ भगा ले गए। इन्होंने उनका पीछा किया तो छः मासी नहर की पटड़ी के पास ठाकरावाली गांव के पास बने वाटरवर्क्स के पास उनकी कार बन्द हो गई, कार के नम्बर डीएल 4 सीजे 7740 थे, जिसमें सवार लडके उतर कर भागने लगे तो तीन लड़को को काबू किया व तीन लड़के भागने में सफल रहे। काबू किए गए लड़कों में ड्राईवर सीट से भागने वाले लड़के ने राजेश बिश्नोई, दुसरे ने अपना नाम अभिषेक व तीसरे ने अपना नाम साजिद होना बताया व भागने वालों का नाम प्रवेश, अमन व विशु उर्फ विष्णु बताया। तीनों व्यक्तियों को जब थाना ले जाने लगे तो उन्होंने स्टाफ के साथ धक्का मुक्की की जिस पर उन तीनों को 151 सीआरपीसी में थानेदार ने गिरफ्तार किया। थाना पहुंचकर बलवन्तराम एसआई ने उक्त घटना के सम्बन्ध में एक टाईपशुदा रिपोर्ट पेश कर मुकदमा दर्ज करवाया। कार डीएल 4 सीजे 7740 को अनुसंधान अधिकारी ने जरिए फर्द प्रदर्श पी.4 जब्त किया था। मौका पर हरियाणा नम्बर की कार जिससे अभियुक्तगण की कार टककराई थी उसे भी कार मालिक राजेश गोयल ने पेश किया था जिसकी फर्द निरीक्षण व सुपुर्दगी प्रदर्श पी.5 थानेदार ने तैयार की। थाना की महेन्द्रा जीप आरजे 13 यूए 4803 का फर्द निरीक्षण आईओ ने तैयार किया था जिसकी फर्द प्रदर्श पी.6 है। दूसरे रोज घटना स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी.3 तैयार किया था व मुल्जिमान को इस प्रकरण में जरिए फर्द प्रदर्श पी.7,8 व 9 गिरफ्तार किया।

19. प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कथन किया कि टांटिया कॉलेज के सामने पांच –छः व्यक्ति बैठते दिखाई दिए थे। इसे ध्यान नही कि इनकी कार आगे थी या पुलिस की जीप आगे थी। इन्होंने लगभग 100 मीटर की दूरी पर लडकों को देख लिया था व लड़को ने भी इन्हें 100 मीटर की दूरी से देख लिया था। उक्त लड़कों के अलावा अन्य लडके भी वहां खडे थे। उक्त छः लडके इन्हें देखकर भागने लगे तो इन्हें पता चला कि वे ही उक्त लडके हैं। 100 मीटर की दूरी पर इन्हें देखने के बाद वे अपनी गाडी को नही मोड़ सके इनके पहुंचने के बाद ही वे अपनी गाडी मोड़ने लगे। ये सभी बावर्दी थे। ये चार लोग नीचे उतरे थे बाकि सभी गाडी में बैठे रहे। उन्होने गाडी को लालगढ की तरफ भगाया, तो प्रमोद ने उन्हें रोकने के लिए हाथ से ईशारा किया तो वे रूके नहीं और प्रमोद को टक्कर मारकर यूटर्न लेते हुए भाग गए। यह कहना गलत है। **ये जब मौका पर पहुंचे तो कोई झगडा होते हुए नहीं देखा था व न ही उन लडको के हाथों में हथियार देखे।** इन्होंने किसी से पूछताछ नहीं की। **लडकों का किससे झगडा होने की संभावना थी इन्हें नहीं पता व न ही किसी से रंजिश होने का कुछ पता चला।** टांटिया कालेज के सामने शायद कैमरा लगे होंगे इसे ध्यान नहीं। **इसके द्वारा कोई फुटेज नहीं लिए गए।** समान्यतः ऐसी कोई घटना होती है तो ये सीसीटीवी की फुटेज देखते है। अभियुक्तगण की कार बन्द हो गई थी तब ये 30–50 मीटर की दूरी पर थे। इन्होंने तीन लोगों को कार से उतरकर भागते हुए देखा था व तीन गाडी के अन्दर ही थे। **इससे उनकी शिनाख्त नहीं करवाई।** मौका पर साजिद, राजेश व अभिषेक को गिरफ्तार किया था। अभियुक्तगण को इस प्रकरण में उस रोज गिरफ्तार नहीं किया था। **इस प्रकरण की एफआईआर बलवन्तराम एसआई ने दर्ज करवायी थी। कोई और एफआईआर दर्ज करवाने नहीं आया था।** यह कहना गलत है कि मुल्जिमान की गाडी ट्रक के पीछे चल रही हो और अचानक गाडी के दिखने से इनके द्वारा भूलवश रोकने पर घटना कारित हुई हो। जो अभियुक्तगण भागे थे उनमें से एक आगे वाली सीट से व दो पीछे वाली सीट से भागे थे। **इन्होंने भागने वाले लोगों का पीछा नही किया क्योंकि जिन्हें पकड रखा वह भाग जाते थे।**

20. अभियोजन साक्षी **पी.ड.5** राजेश गोयल ने कथन किया कि मार्च 2017 की बात है। यह व इसका चालक जोगेन्द्र इसकी कार नंबर एचआर 8369 को लेकर टांटिया कॉलेज गया था व कार टांटिया कॉलेज के सामने खडी की थी वक्त शाम 3–3.15 बजे एक होण्डा सिटी कार आई जिसमें चार पांच लडके बैठे थे उन्होंने इसकी कार के पीछे की तरफ टक्कर मारी जिससे टायर व बम्पर फट गया। सामने से पुलिस की गाडी आई उन्होंने उस कार को रूकवाने का ईशारा किया लेकिन वे पुलिस वालों को भी टक्कर

मारकर हनुमानगढ रोड़ की तरफ भाग गए। इस सम्बन्ध में इसने थाना में प्रार्थना पत्र प्रदर्श पी.14 दिया था। थाने में अपनी गाड़ी लेकर गया था जिसका मकेनिकल मुआयना करने के बाद कार इसे सुपुर्द कर दी थी। फर्द निरीक्षण व सुपुर्दगी प्रदर्श पी .5 है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कथन किया कि इसको तो इसके ड्राईवर ने बताया था कि गाड़ी टक्कर मारी। **इसने न तो गाड़ी को देखा, न ही भागने वाले को देखा व न ही गाड़ी को टक्कर मारते देखा। प्रदर्श पी.14 इसकी कलमी नहीं है थाने वालों ने ही लिखा था।**

21. अभियोजन साक्षी **पी.ड.4** डॉ. हंसराज ज्याणी ने कथन किया है कि दिनांक 20.03.17 को यह राजकीय चिकित्सालय श्रीगंगानगर में कार्यरत था। उस रोज 5.55 पीएम पर पुलिस थाना सदर के प्रतिवेदन पर प्रमोद कुमार के शरीर पर आई चोटों का मुआयना किया जो निम्न प्रकार से हैः–

01 खरोंच 5 सेमी X 3 सेमी दायीं अग्र भुजा के बीच में
02 खरोंच 4 सेमी X 3 सेमी दायी अग्र भुजा के निचले हिस्से में
03 खरोंच 5 सेमी X 2 सेमी दाएं हाथ के पीछे के हिस्से में
04 दाएं पैर में दर्द जाहिर किया।
05 कमर के नीचले हिस्से में दर्द जाहिर किया।

उपरोक्त सभी चोटें सामान्य प्रकृति की थी और कुन्दालाकार हथियार से कारित थी। चोटों की अवधि 6 घण्टे के भीतर की थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी.13 है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव को सही बताया कि **वाईटल पार्ट पर कोई चोट नहीं थी तथा सभी चोट साधारण प्रकृति की थी। कोई भी चोट प्राणघातक नहीं थी। उक्त सभी चोटें धरातल पर गिरने से आ सकती हैं।**

22. अभियोजन साक्षी **पी.ड.6** रामकुमार एमटीओ ने कथन किया है कि दिनांक 23.03.17 को मुकदमा न. 104/17 पुलिस थाना सदर में दुर्घटनाग्रस्त कार होण्डा सिटी न. डीएल 4 सीजे 7740 लाईट गोल्डन ग्रे कलर का मैकेनिकल मुआयना थाना में पहुंचकर किया गया था। कार जिसकी मैकेनिकल रिपोर्ट प्रदर्श पी.15 इसके द्वारा तैयार की गई व उसी रोज थाना हाजा में खडी इसी प्रकरण में जब्तशुदा मारूति स्विफ्ट डिजायर एचआर 42 सी 8369 व महेन्द्र जीप थार आरजे 13 यूए 4803 जो पुलिस थाना की सरकारी जीप थी का भी मैकेनिकल मुआयना इसने किया था जिनकी मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट प्रदर्श पी.16 इसने तैयार की थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कथन किया कि टकराने वाली कारों में एक–दूसरी गाड़ी पर आपस का रंग नहीं लगा हुआ था।

23. अभियोजन साक्षी **पी.ड.7** कुलदीप वालिया तत्कालीन थानाधिकारी ने कथन किया है कि दिनांक 29.03.17 को यह पीएस सदर में तैनात था। मुकदमा न. 104/17 एसपी द्वारा चन्द्रजीत सिंह एसआई से इसके सुपुर्द किया था। पूर्व में इस प्रकरण में मुल्जिम अभिषेक, साजिद व राजेश बिश्नोई को गिरफ्तार कर जे.सी करवाया जा चुका था। **मुल्जिम अमन, प्रवेश, विशु उर्फ विश्वजीत की गिरफ्तारी शेष थी। इसके द्वारा उपरोक्त अभियुक्तगण की कॉल डिटैल प्राप्त कर अनुसंधान किया गया तो इनकी उपस्थिति घटनास्थल पर नहीं पायी गई** व गवाह सुशील कुमार, अमित बिश्नोई के बयान इसके द्वारा लिए गए। इसके द्वारा रवानगी आमदगी की प्रमाणित प्रतियां व प्रमोद कुमार तथा बलवन्त राम की एसपी आफिस से पत्र लिखे जाकर उनका प्रथम नियुक्ति पत्र की फोटोप्रति प्राप्त की व वाहन के सम्बन्ध में एसपी कार्यालय से प्रमाणित प्रति प्राप्त की जो प्रदर्श पी.17 है व गाडी के स्टॉक रजिस्टर के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्राप्त की गई व मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई जो प्रदर्श पी.18 है। इसके अनुसंधान से मुल्जिम अभिषेक, साजिद व राजेश बिश्नोई के खिलाफ 307, 332, 353, 279, 143 आईपीसी व 3 पीडीपीपी एक्ट का अपराध पाए जाने पर इसके द्वारा न्यायालय में चार्जशीट पेश की गई।

24. प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव को सही बताया कि इससे पूर्व अनुसंधान अधिकारी ने उक्त प्रकरण में 6 आरोपियों के विरूद्ध अपराध प्रमाणित माना था, लेकिन **इसके द्वारा अनुसंधान में गिरफ्तारशुदा 3 मुल्जिमान के अलावा शेष तीन नामजद मुल्जिमान की मौका पर मोबाईल की लोकेशन के आधार पर मौजूदगी नहीं पाए जाने पर व किसी भी गवाहन द्वारा इस संबंध में गवाही नहीं दिए जाने पर शेष तीन मुल्जिमान के विरूद्ध अपराध प्रामाणित नहीं माना गया।** यह सही है कि न्यायालय की पत्रावली पर कॉल डिटेल व लोकेशन नहीं लगी है। यह बात सही है कि उक्त प्रकरण में तीन मुल्जिमानों को मौका से 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार किया था। **प्रदर्श पी.14 इसके समक्ष पेश नहीं हुई थी** व न ही इस संबंध में इसने अनुसंधान किया था।

25. अभियोजन साक्षी **पी.ड.10** चन्द्रजीत सिंह उप निरीक्षक ने कथन किया है कि दिनांक 20.03.2017 को यह पीएस सदर में कार्यरत था। उस रोज बलवन्तराम एसआई ने एक प्रार्थना पत्र प्रदर्श पी.1 पेश किया जिस पर अभियोग संख्या 104/17 दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी .1 है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी.2 इसके द्वारा दर्ज की गई। घटना स्थल पर पहुंच कर इसके द्वारा नक्शा मौका प्रदर्श पी.3 तैयार किया गया। हालात मौका प्रदर्श पी.3 ए है। दौराने अनुसंधान गवाहान

के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किए गए। इसके द्वारा राजेश गोयल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को बाद अवलोकन कार्यवाही पुलिस अंकित करते हुए शामिल पत्रावली किया गया जो प्रदर्श पी.14 है। मजरूब प्रमोद कुमार एचसी का मेडिकल मुआयना किया जाकर आईआर शामिल पत्रावली की गई। फर्द निरीक्षण एंव जब्ती कार डीएल 4 सीजे 7740 प्रदर्श पी.4, फर्द निरीक्षण एवं सुपुर्दगी कार नंबर एचआर 42 सी 8369 की फर्द प्रदर्श पी.5, फर्द निरीक्षण महेन्द्रा जीप आरजे 13 यूए 4803 इसके द्वारा तैयार की गई। अभियुक्त राजेश बिश्नोई, अभिषेक व साजिद ,जरिए फर्द प्रदर्श पी.7 से 9 गिरफ्तार किया गया। जब्तशुदा वाहनों का एमटीओ से मेकेनिकल मुआयना करवाया गया। उसके बाद अग्रिम अनुसंधान कुलदीप वालिया द्वारा किया गया जिन्होने बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरूद्ध चार्जशीट पेश की।

26. प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कथन किया कि **दुर्घटना स्थल पर कोई अलामात नहीं मिले थे।** आज इसे याद नहीं है कि उस रोज इसके द्वारा कोई सीसीटीवी फुटेज टांटिया कॉलेज से लिए या नहीं। **यह सही है कि पत्रावली पर सीसीटीवी कैमरा के फुटेज या फोटोग्राफ मौजूद नहीं है।** इन्होंने टांटिया कालेज के आस पास अनुसंधान किया था व कॉलेज के गॉर्डस व अन्य स्टाफ से अनुसंधान किया था लेकिन कोई साक्षी बनने के लिए तैयार नहीं हुआ अज खुद कहा कि इन्होंने बलजीत सिंह के बयान लिए थे। बलजीत सिंह टांटिया कालेज का कर्मचारी है, लेकिन वह गार्ड नहीं है। इसके द्वारा वहां लगे गार्ड के बयान लेने का प्रयास किया था, लेकिन सभी ने अपनी-अपनी मजबूरी जाहिर कर मना कर दिया। यह बात सही है कि इन्होंने किसी को साक्षी बनने के लिए नोटिस नहीं दिया। बलजीत सिंह जो कि टांटिया कालेज का कर्मचारी है उसे गवाह रखा था। बलजीत सिंह इस घटना का साक्षी है, लेकिन वह चश्मदीद गवाह नहीं है। यह बात सही है कि नक्शा मौका प्रदर्श पी.3 बनाते समय मजरूब प्रमोद इनके साथ नहीं था व न ही उसकी निशानदेही से नक्शा मौका बनाया अज खुद कहा कि बलवन्त राम की निशानदेही से बनाया था। **घटना से पूर्व बलवन्तराम, यह तथा प्रमोद, आरोपीगण को नहीं जानते थे।** इसके द्वारा एक ही नक्शा मौका बनाया गया था। इसे आज याद नहीं है कि इसने जहां से आरोपीगण को पकडा था व गाडीया जब्त की थी उस जगह का नक्शा मौका बनाया था या नहीं। यह उस स्थल पर गया था। उक्त प्रकरण में जब्तशुदा गाडियां घटना स्थल से यह नहीं लेकर आया था। उक्त जब्तशुदा गाडियों के रंग व नम्बर इसे आज याद नहीं है। उक्त गाडियों की आरसी किसके नाम से थी इसे आज याद नहीं है। **इसके पास जब अनुसंधान आया था, उस समय 6 लोगों के नाम आए थे। यह सही है कि**

आगामी अनुसंधान अधिकारी द्वारा तीन व्यक्तियों को ही मुल्जिम रखा गया था। आज इसे याद नही है कि इसके द्वारा मजरूब प्रमोद कुमार की फटी हुई ड्रैस आदि बरामद किए थे या नहीं। आज इसे याद नहीं है कि टांटिया कालेज के सामने कैमरा लगे हुए थे या नहीं। आरोपीगण की गिरफतारी प्रदर्श पी.7 से 9 की सूचना इसके द्वारा उनके बताए अनुसार व्यक्तियों को दी थी आज इसे याद नहीं है कि किसको दी थी। आरोपीगण ने उस रोज किस रंग के कपडे पहन रखे थे इसे ध्यान नहीं है। **यह कहना सही है कि वरवक्त घटना यह, प्रमोद कुमार के साथ नहीं था।**

27. इस प्रकार अभिलेख पर जो साक्ष्य उपलब्ध हुई है, स्वयं अभियोजन पक्ष द्वारा जो आरोप पत्र पेश किया गया है, वह धारा 279 भा.दं.सं. में भी पेश किया गया है, जो स्वयं अपने आप स्पष्ट कर रहा है कि यह दुर्घटना का मामला था। अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य से भी यह स्पष्ट हुआ है कि यह एक दुर्घटना का मामला था। यह भी स्पष्ट है कि दुर्घटना में आहत श्री प्रमोद के हाथ पर चोट लगी, जो साधारण प्रकृति की थी। उसके बावजूद भी चूँकि पुलिस कर्मचारी थे, साक्षी भी वही थे, इसलिए वृह्द धारा 307, 332, 353 भा.दं.सं. का मामला इनके द्वारा बनाया गया है, जबकि संपूर्ण पत्रावली पर जो साक्ष्य उपलब्ध हुई है, वह केवल यह निष्कर्ष देती है कि यह महज एक दुर्घटना का ही मामला था, जिसमें गाड़ी को हाथ दिया तो उसकी टक्कर लग गई। यहां यह उल्लेख करना भी उचित है कि किसी प्रकार की सीसीटीवी फुटेज उस घटनास्थल के आसपास की लेने का प्रयास तक नहीं किया गया कि वास्तव में घटना किस प्रकार से हुई। जिन अभियुक्तगण का भागना बताया है, वो कौन थे, इसके बारे में साक्ष्य नहीं है, न ही उनको पकड़ने का प्रयास किया गया और अनुसंधानकर्ता ने पूरी तफ्तीश में तीन व्यक्तियों को ही मुलजिम माना है, यह उसके अपने विभाग के साक्षीगण को कटघरे में खड़ा करता है, जो छः व्यक्तियों का घटना में शामिल होना कहते हैं। स्पष्ट रूप से चूँकि यह पुलिस कर्मियों का मामला था, मामले को संगीन बनाने के लिए इनके द्वारा दुर्घटना को आपराधिक रूप देते हुए सारी कहानी बनाई जाना प्रकट है। यह भी स्पष्ट हुआ है कि सभी आरक्षी कार्मिकों के फोनों में रिकॉर्डिंग के कैमरे थे, लेकिन किसी ने घटना को रिकॉर्ड करने का प्रयास नहीं किया। वे अभियुक्तगण को जानते, पहचानते नहीं थे, किन्तु किसी की पहचान कार्यवाही नहीं करवाई गई।

28. प्रकरण में महत्वपूर्ण अभियोजन साक्षी पी.ड.3 चरणसिंह ने प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट किया है कि उन्होनें गाड़ी को लालगढ़ की तरफ भगाया तो प्रमोद ने उन्हें रोकने के लिए हाथ का ईशारा किया तो वे रूके नहीं, प्रमोद को टक्कर मारते हुए युटर्न मारते हुए भाग

गए, इससे भी यह मामला दुर्घटना से अधिक कुछ भी नहीं है। यहां यह उल्लेख करना भी उचित है कि स्वयं अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य से यह आया है कि जब वे मौके पर पहुंचे तो कोई झगड़ा होते हुए नहीं देखा था, न ही उन लड़कों के हाथों में कोई हथियार थे, किसी से भी पूछताछ भी नहीं की। लड़कों का किससे झगड़ा होने की संभावना थी, इस बारे में कुछ नहीं किया गया। यह भी स्पष्ट है कि प्रकरण में प्राथमिकी भी बलवंतराम इंचार्ज थाना स्वयं ने संस्थित करवाई थी, अन्य कोई व्यक्ति प्राथमिकी संस्थित करवाने नहीं आया था।

29. आहत पी.ड.9 प्रमोद कुमार पुत्र राजेन्द्र प्रसाद के जो चोटें आई हैं, वो साधारण खरोंचे है, कोई भी चोट प्राणघातक नहीं थी व साधारण प्रकृति की चोटें होना चिकित्सक द्वारा बताया गया है, उसके बावजूद भी चूँकि आरक्षी कार्मिक थे, पुलिस अधिकारियों द्वारा मामले को गंभीर बनाने के लिए अन्य धाराएं संयोजित किया जाना प्रकट हुआ है। जिस प्रकार की साक्ष्य पत्रावली पर सामने आई है, उसमें महत्वपूर्ण साक्षी कुलदीप वालिया पी.ड.7 जो अनुसंधानकर्ता था, ने प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि पूर्व अनुसंधान अधिकारी ने प्रकरण में छः आरोपियों के विरूद्ध आरोप प्रमाणित माना था, लेकिन इसके द्वारा अनुसंधान में गिरफ्तारशुदा तीन मुलजिमान के अलावा अन्य किसी को मुलजिम नहीं पाया। यह भी स्पष्ट किया है कि शेष तीन नामजद मुलजिमान को मौके पर मोबाईल की लोकेशन के आधार पर मौजूदगी नहीं पाए जाने पर व किसी साक्षी द्वारा इनके संबंध में गवाही नहीं दिए जाने पर शेष तीन मुलजिमान के विरूद्ध अपराध प्रमाणित नहीं पाया है। अर्थात् प्रकरण में दो अनुसंधानकर्ता ने भिन्न –भिन्न निष्कर्ष दिया है, जो स्वयंमेव अभियोजन कथानक को छिन्न–भिन्न कर देता है।

30. पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि किसी भी पुलिस कार्मिक की मुलजिमान से कोई द्वेषता नहीं थी, न ही वे उन्हें जानते थे। यह भी स्पष्ट है कि जब पुलिस वाले मौके पर पहुंचे, इस संबंध में स्वयं आहत जो प्रमोद पुत्र राजेन्द्रप्रसाद पी.ड.9 पेश हुआ है, ने स्पष्ट किया है कि जब वो मौके पर पहुंचे तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा था। इसने यह भी स्वीकार किया है कि इसके सामने शांति भंग करने के अपराध में मौके पर किसी को नहीं पकड़ा था। यह भी सही बताया कि आरोपीगण को पहले से नहीं जानते थे। यह साक्षी स्वयं प्रतिपरीक्षण में स्वीकार करता है कि इसे दुर्घटना में गिरने से चोटें लगी थी, जिससे इसके खून आया था और इसके कपड़ों पर लग गया था। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि प्रकरण में किसी प्रकार के कोई खून आलूदा कपड़े, फटी हुई वर्दी किसी प्रकार की अभिगृहीत नहीं की गई है।

31. इस प्रकार पत्रावली पर जो साक्ष्य उपलब्ध हुई है, उसके समग्र अवलोकन से यह एकमात्र दुर्घटना का मामला है व इससे अधिक कुछ नहीं है और उस दुर्घटना में आहत प्रमोद कुमार पुत्र राजेन्द्रप्रसाद के साधारण चोटें आई है। जबकि उसकी हत्या करने के आशय से उस पर वाहन चढाने का प्रयास किया हो अथवा आरक्षी कार्मिकों को उनके कर्तव्य निर्वहन से भयोपरत करने हेतु आपराधिक बल प्रयोग व स्वेच्छया उपहतियां कारित किए जाने का कोई तथ्य प्रमाणित नहीं पाया गया है और जहां तक राजकीय वाहन संपत्ति जीप नंबर आर जे 13 यू ए 4802 को क्षतिग्रस्त कर नुकसान कारित किए जाने के आरोप का प्रश्न है, इस संबंध में एमटीओ प्रतिवेदन प्रदर्श पी.16 के अवलोकन से महिन्द्रा जीप थार नं. आर जे 13 यु ए 4803 के आगे बाएं तरफ मडगार्ड पर रगड़क लगी व मुचा है व बॉडी पर और आगे के बम्फर पर रगड़क लगी होना दर्शाया गया है और एमटीओ पी.ड.6 रामकुमार ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उक्त गाड़ियां जो दुर्घटनाग्रसित हुई, वह किसी भी गाड़ी के भिड़ने से हो सकती है। ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि जिससे धारा 425 भा.दं.सं. के अनुसार यह पाया जावे कि अभियुक्त द्वारा लोक संपत्ति को हानि या नुकसान कारित करने के आशय से जिससे वाहन का मूल्य या उपयोगिता नष्ट या कम हो जाती है या उसपर क्षतिकारक प्रभाव पड़ता है, ऐसी कोई रिष्टि कारित की गई हो। अतः राजकीय संपत्ति को नुकसान कारित किए जाने का आरोप भी प्रमाणित नहीं पाया जाता है।

32. उपरोक्त संपूर्ण विवेचनानुसार पत्रावली पर जो अभियोजन साक्ष्य प्रस्तुत हुई है, उसके समग्र अवलोकन एवं विवेचन से यह स्पष्ट है कि यह मात्र एक वाहन दुर्घटना का मामला है, जिस दुर्घटना में एक आरक्षी कार्मिक प्रमोद पुत्र राजेन्द्र प्रसाद के साधारण चोटें आई हैं और घटना के समय वाहन कार चालक अभियुक्त राजेश बिश्नोई होने के संबंध में साक्षीगण ने कथन किया है। ऐसी स्थिति में जो वाहन चला रहा था , वही अभियुक्त व्यक्ति दुर्घटना के दायित्वाधीन होकर मात्र अपराध अंतर्गत धारा 279, 337 भा.दं.सं. के लिए दोषी ठहराए जाने योग्य है। यद्यपि धारा 337 भा.दं.सं. का आरोप विरचित नहीं हुआ है, किन्तु अभिलेख पर प्रस्तुत हुई साक्ष्य व परिस्थितियों से यह दुर्घटना का मामला होकर चालक की उपेक्षा, लापरवाही एवं उतावलेपन से वाहन चलाना एवं उससे आहत प्रमोद के साधारण उपाहतियां कारित होना प्रमाणित पाया गया है और जहां वृह्द धाराओं के आरोप हों तो वहां लघुत्तर अपराध प्रमाणित पाए जाने पर उसमें दोषसिद्धि की जा सकती है। अन्य अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई अपराध प्रमाणित नहीं होता है।

33. **निष्कर्षतः**

(1) अभियुक्तगण अभिषेक पुत्र राजेंद्र कुमार, निवासी 31 आर बी पीएस पदमपुर, श्रीगंगानगर एवं साजिद धारणिया पुत्र आजाद कुमार, निवासी अबूबशहर पीएस डबवाली, हरियाणा को अपराध धारा 307, 279, 353, 332 भा.दं.सं. व धारा 3 सार्वजनिक संपत्ति हानि निवारण अधिनियम के आरोपों से व अभियुक्त राजेश बिश्नोई पुत्र सुभाष बिश्नोई, निवासी सीतो गुनों तहसील अबोहर थाना भाववाला, पंजाब को अपराध धारा 307, 353, 332 भा.दं.सं. व धारा 3 सार्वजनिक संपत्ति हानि निवारण अधिनियम के आरोपों से **दोषमुक्त** घोषित किया जाता है।

(2) अभियुक्त राजेश बिश्नोई पुत्र सुभाष बिश्नोई, निवासी सीतो गुनों तहसील अबोहर थाना भाववाला, पंजाब को अपराध धारा 279, 337 भा.दं.सं. के आरोपों में **दोषसिद्ध** घोषित किया जाता है।

(रविन्द्र कुमार)

दंड के प्रश्न पर

34. दंड के प्रश्न पर सुना गया। अभियुक्त पक्ष के योग्य अधिवक्ता का कहना है कि अभियुक्त इस प्रकरण में पिछले करीब 7 वर्ष से अन्वीक्षा भुगत रहा है, उसका यह प्रथम अपराध है, उसके विरूद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि बाबत् साक्ष्य विद्यमान नहीं है। अतः अभियुक्त के विरूद्ध नरमी का रूख अपनाते हुए परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिए जाने का निवेदन किया। विद्वान लोक अभियोजक ने अभियुक्त को विधिनुसार यथोचित दंड से दंडित किए जाने का निवेदन किया।

35. उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त राजेश के विरूद्ध धारा 279, 337 भा.दं.सं. के आरोप प्रमाणित पाए गए हैं। अभियुक्त 32 वर्षीय नवयुवक है व वर्ष 2018 से अन्वीक्षा भुगतता रहा है। उसके विरूद्ध पूर्व दोषसिद्धि बाबत् विवरण नहीं है। वर्तमान में खेती बाड़ी करना बतलाया गया है। न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हेतु न्यायालय के विनम्र मत में अभियुक्त को कारावास भेजे जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों, अभियुक्त की स्थिति, अपराध की प्रकृति आदि को देखते हुए, अभियुक्त को सिद्धदोष अपराध के लिए इस समय कोई भी दंड दिये जाने की बजाए अपराधी

परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 4 का फायदा देते हुए सदाचार की परिवीक्षा पर स्वतंत्र किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:: आदेश ::–

36. अभियुक्त राजेश बिश्नोई पुत्र सुभाष बिश्नोई, निवासी सीतो गुनों तहसील अबोहर थाना भाववाला, पंजाब को अपराध धारा 279, 337 भा.दं.सं. के **सिद्धदोष अपराध में** तुरंत दंडित किये जाने की बजाए, **अपराधी परिवीक्षा अधिनियम,1958 की धारा 4** का लाभ देते हुए आदेश है कि अभियुक्त की ओर से आगामी एक वर्ष तक शांति एंव सद्व्यवहार बनाये रखने, अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करने व अपेक्षित किये जाने पर दंड भुगतने हेतु स्वंय न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने के संबंध में राशि 50 हजार रूपये का व्यक्तिगत बंध–पत्र व इसी प्रकार राशि की एक सुदृढ़ प्रतिभू प्रस्तुत कर दिये जाने पर, उसे इस प्रकरण में सदाचार की परिवीक्षा पर स्वतंत्र कर दिया जावे। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में नियमित उपस्थिति हेतु पूर्व में प्रस्तुत प्रतिभू बंध –पत्र निरस्त किये जाते हैं।

37. प्रकरण में अभिगृहीत भौतिक साक्ष्य वाहन यदि सुपुर्दगी पर दिया हुआ हो तो बाद व्यतीत होने अपीलावधि सुपुर्दगीनामा निरस्त समझा जावे व वाहन सुपुर्ददार के पास रहे अथवा नियमानुसार वाहन स्वामी को लौटा दिया जावे ।

(रविन्द्र कुमार)

38. निर्णय व आदेश आज दिनांक 12.05.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रविन्द्र कुमार)

SURESH KUMAR SAPRA
"Authenticated Document" Steno Gr. I
Digitally signed by SURESH KUMAR SAPRA
Date: 2026.05.13 07:28:37 +0530